विधि कार्य विभाग

और

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

*****

<u>पृष्ठभूमि</u>

शंघाई सहयोग संगठन (**एससीओ**) एक आठ सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा शंघाई, चीन में की गई थी। उज्बेकिस्तान को छोड़कर ये देश, **शंघाई फाइव** ग्रुप के सदस्य थे, जिसका गठन 26 अप्रैल 1996 को *सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य ट्रस्ट को गहरा करने की संधि पर हस्ताक्षर के साथ किया गया था।* 2001 में, शंघाई में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, पांच सदस्य देशों ने पहली बार उज्बेकिस्तान को शंघाई फाइव मैकेनिज्म में शामिल किया (इस प्रकार इसे शंघाई सिक्स में बदल दिया)। इसके बाद, 15 जून 2001 को *शंघाई सहयोग संगठन की घोषणा पर* हस्ताक्षर किये गये और जून 2002 में एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों ने एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किये, जो संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संरचनाओं और संचालन के रूपों की व्याख्या करता है, और इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों में स्थापित करता है। जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में, भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। जुलाई 2015 में रूस के ऊफ़ा में, एससीओ ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। भारत और पाकिस्तान ने जून 2016 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिससे पूर्ण सदस्यों के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई। 9 जून 2017 को, अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में, भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हो गये।

2. एससीओ ने 2004 में संयुक्त राष्ट्र (जहां यह महासभा में एक पर्यवेक्षक है), 2005 में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), 2007 में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, 2007 में आर्थिक सहयोग संगठन, 2011 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, 2014 में एशिया में बातचीत और विश्वास-निर्माण उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए), और 2015 में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), 2018 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के साथ संबंध स्थापित किये हैं ।

संरचना

3. एससीओ के दो स्थायी निकाय हैं - (i) बीजिंग में एससीओ सचिवालय और (ii) ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवादरोधी संरचना (आरएटीएस) की कार्यकारी समिति। एससीओ की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा एक वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा की जाती है। वर्तमान में ताजिकिस्तान 2020-21 के लिए एससीओ का अध्यक्ष है।

4. राष्ट्राध्यक्षों की परिषद एससीओ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह परिषद एससीओ शिखर सम्मेलन में बैठक करती है, जो हर साल सदस्य देशों की राजधानी शहरों में से एक में आयोजित की जाती है। सरकार के प्रमुखों की परिषद संगठन में दूसरी सबसे बड़ी परिषद है। यह परिषद वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित करती है, जिसमें सदस्य बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह परिषद संगठन के बजट को भी मंजूरी देती है। विदेश मंत्रियों की परिषद नियमित बैठकें करती है, जहां वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ एससीओ की बातचीत पर चर्चा की जाती है। राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद एससीओ के चार्टर के ढांचे के भीतर सदस्य देशों के बहुपक्षीय सहयोग का समन्वय करती है।

5. एससीओ का सचिवालय संगठन का प्राथमिक कार्यकारी निकाय है। यह संगठनात्मक निर्णयों और डिक्रियों, दस्तावेजों (जैसे घोषणाओं और एजेंडा) को लागू करने का कार्य करता है, संगठन के लिए एक दस्तावेज डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है, एससीओ ढांचे के भीतर विशिष्ट गतिविधियों की व्यवस्था करता है, और एससीओ के बारे में जानकारी को बढ़ावा देता है और प्रसारित करता है। यह बीजिंग में स्थित है। प्रत्येक सदस्य देश का एससीओ में एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। क्षेत्रीय आतंकवादरोधी संरचना (आरएटीएस), जिसका मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है, एससीओ का एक स्थायी अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ सदस्य देशों के सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य देश आरएटीएस को एक स्थायी प्रतिनिधि भी भेजता है। एससीओ महासचिव और कार्यकारी निदेशक एससीओ आरएटीएस को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ताजिकिस्तान से श्री राशिद अलीमोव और श्री येवगेनी सिसोयेव रूस से क्रमशः 1 जनवरी 2016 से एससीओ महासचिव और आरएटीएस के कार्यकारी निदेशक रहे हैं। 9-10 जून, 2018 को आयोजित एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के क़िंगदाओ शिखर सम्मेलन ने उज्बेकिस्तान से श्री व्लादिमीर इमामोविच नोरोव 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक एससीओ के अगले महासचिव और ताजिकिस्तान से श्री जुमाखोन फैयोज़ोविच गियोसोव 1 जनवरी 2019 से 31

दिसंबर 2021 तक एससीओ- आरएटीएस की कार्यकारी समिति के निदेशक के रूप में की नियुक्ति की पुष्टि की।

6. इनके अलावा, संसद के प्रमुखों, रक्षा मंत्रियों, आपातकालीन स्थितियों, अर्थव्यवस्था/ व्यापार, परिवहन, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सर्वोच्च न्यायालय, महाभियोजक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के सचिवों आदि की नियमित बैठकों के लिए तंत्र हैं।

7. शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक कामकाजी भाषाएँ चीनी और रूसी हैं ।

8. **<u>भारत और एससीओ</u>**

जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, और बाद में पर्यवेक्षकों के लिए खुले सभी एससीओ मंचों में भाग लिया। भारत ने सितंबर 2014 में दुशांबे में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले तत्कालीन एससीओ अध्यक्ष, ताजिकिस्तान को पूर्ण सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद, जुलाई 2015 में ऊफ़ा (रूस) में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन में एससीओ में भारत (और पाकिस्तान) की पूर्ण सदस्यता के प्रवेश की प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की।

9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जून 2016 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारत ने एससीओ के सदस्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओओ) पर हस्ताक्षर किये। एमओओ ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्रमिक चरण-दर-चरण और समयबद्ध तरीके से भारत द्वारा पूरे किये जाने वाले विभिन्न दायित्वों को रेखांकित किया। एमओओ के तहत दायित्वों के अनुसार, भारत ने एससीओ चार्टर और आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने संबंधी शंघाई कन्वेंशन और एमओओ पर हस्ताक्षर करने के बाद लागू हुए 3 अतिरिक्त एससीओ समझौतों सहित 34 एससीओ समझौतों को स्वीकार किया था। भारत के लिए एमओओ 25 मार्च 2017 को लागू हुआ, यानी एससीओ सदस्यों की ओर से अंतिम लिखित अधिसूचना के 30 दिन बाद। भारत ने एमओओ के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा किया और 9 जून, 2017 को अस्ताना, कजाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य (पाकिस्तान के साथ) का दर्जा दिया गया।

10. 9 जून 2017 से एक पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में भारत का प्रवेश विदेश मंत्रालय में एससीओ डिवीजन की स्थापना और एससीओ के लिए राष्ट्रीय समन्वयक और स्थायी प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ और सक्रिय हो गया है। एससीओ की विभिन्न बैठकों में नियमित

रूप से भागीदारी होती रही है। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24-25 अगस्त 2017 को चोपलोन- अता, किर्गिस्तान में आपात रोकथाम और राहत एजेंसियों के एससीओ प्रमुखों की 9वीं बैठक में भाग लिया। तत्कालीन विदेश मंत्री सुश्री सुषमा स्वराज ने 20 सितंबर 2017 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें सत्र की तर्ज पर एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की गैर-नियमित बैठक में भाग लिया ।

11. विधि कार्य विभाग और शंघाई सहयोग संगठन

क. एससीओ के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक :

विधि कार्य विभाग, विभिन्न स्तरों पर एससीओ के न्याय मंत्रियों की बैठकों में भाग लेता रहा है। सिविल और आपराधिक/ फोरेंसिक गतिविधियों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधी/सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए एससीओ सदस्य देशों के अधिकारियों की प्रारंभिक बैठक से पहले न्याय मंत्रियों का फोरम होता है।

- इस विभाग के माध्यम से भारतीय पक्षों ने एससीओ के न्याय मंत्रियों के 5वें सत्र में भाग लिया। तत्कालीन विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 20-21 अक्टूबर, 2017 को ताशकंद में हुए 5वें सत्र में भाग लिया था:-

  (i) डॉ. जी. नारायण राजू, तत्कालीन सचिव, विधायी विभाग
  (ii) डॉ. अंजु राठी राणा, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग
  (iii) श्री जी. आर. राघवेंद्र, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग
  (iv) श्री प्रियंकर घोष, तत्कालीन निदेशक, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह मंत्रालय

- इस विभाग के माध्यम से भारतीय पक्षों ने एससीओ के न्याय मंत्रियों के 6वें सत्र में भाग लिया। तत्कालीन सचिव, श्री सुरेश चंद्र के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 24 अगस्त, 2018 को चोलपोन-अता किर्गिस्तान में हुए 6वें सत्र में भाग लिया था।

  (i) श्री एम. सी. जोशी, तत्कालीन उप निदेशक एवं वैज्ञानिक 'डी', गृह मंत्रालय

• एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों के 7वें सत्र की तैयारी पर प्रथम विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 17-18 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। अक्टूबर, 2020 को भारत में एससीओ के सदस्य के न्याय मंत्रियों के 7वें सत्र का आयोजन किया गया था। दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को तत्कालीन माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण इस प्रकार है:-

(i) श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, तत्कालीन विधि सचिव

(ii) श्री आर.एस. वर्मा, अपर सचिव, विधि कार्य विभाग

(iii) डॉ. राजीव मणि, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

(iv) डॉ. अंजु राठी राणा, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

(v) श्री एम. खंडेलवाल, तत्कालीन अपर सरकारी अधिवक्ता, विधि कार्य विभाग

(vi) श्री आर.के. श्रीवास्तव, तत्कालीन अपर विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

(vii) डॉ. आर.जे.आर. काशीभटला, उप विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

• कोरोना महामारी के कारण एससीओ के न्याय मंत्रियों का 8वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से दिनांक 6 अगस्त, 2021 को आयोजित किया गया था, इससे पहले 11 जून, 2021 को प्रथम विशेषज्ञ बैठक और 4-5 अगस्त, 2021 को दूसरी विशेषज्ञ बैठक हुई थी। माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, श्री किरेन रीजीजू के नेतृत्व में इस विभाग ने एससीओ के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किया। माननीय एमएलजे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण इस प्रकार है:

(i) श्री एस.पी. सिंह बघेल, माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री

(ii) श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, तत्कालीन विधि सचिव

(iii) श्री आर.एस. वर्मा, अपर सचिव, विधि कार्य विभाग

(iv) डॉ. राजीव मणि, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

(v) डॉ. अंजु राठी राणा, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

(vi) श्री एम. खंडेलवाल, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, विधि कार्य विभाग

(vii) श्री आर.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

(viii) डॉ. आर.जे.आर. काशीभटला, उप विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

ख.   <u>एससीओ के सदस्य देशों के महाभियोजक की बैठक</u> :

एससीओ के बहुपक्षीय ढांचे के भीतर चर्चा के विभिन्न फोरम के हिस्से के रूप में, एससीओ के सदस्य देशों के महाभियोजकों की बैठक प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में आयोजित की जाती है। इस फोरम का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, भ्रष्टाचार का विरोध करने और उससे लड़ने के लिए आधुनिक प्रैक्टिस और प्रभावी तंत्र, एससीओ के सदस्य राज्यों के अभियोजक कार्यालय में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए किया जाता है। विगत में, पूर्ण सदस्य बनने के बाद, भारत ने 2017-2019 के दौरान महाभियोजक की 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं बैठक में भाग लिया है।

- एससीओ के महाभियोजकों की 15 वीं बैठक का आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था जिसका प्रतिनिधित्व सुश्री पिंकी आनंद, तत्कालीन अपर सॉलिसिटर जनरल, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण इस प्रकार है:-

    (i) श्री आत्माराम नाडकर्णी, तत्कालीन एल.डी. अपर सॉलिसिटर जनरल
    (ii) डॉ. अंजु राठी राणा, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग
    (iii) श्री अनूप यादव, तत्कालीन उप विधि सलाहकार, गृह मंत्रालय
    (iv) श्री अरुण शर्मा, सेंट पीटर्सबर्ग के लिए भारत के तत्कालीन महावाणिज्य दूतावास

- दिनांक 20 सितंबर, 2018 को एससीओ के महाभियोजकों की 16 वीं बैठक का आयोजन दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ था जिसका प्रतिनिधित्व भी सुश्री पिंकी आनंद, तत्कालीन अपर सॉलिसिटर जनरल, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण इस प्रकार है:-

    (i) डॉ. अंजु राठी राणा, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

- दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 को एससीओ के महाभियोजकों की 17 वीं बैठक का आयोजन बिश्केक, किर्गिस्तान में हुआ था जिसका प्रतिनिधित्व भी सुश्री पिंकी आनंद, तत्कालीन अपर सॉलिसिटर जनरल, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा ही किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण इस प्रकार है:-

(i) श्री अजय गोयल, तत्कालीन संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग

- दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को एससीओ के महाभियोजकों की 18 वीं बैठक को आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से किया गया जिसका प्रतिनिधित्व श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण इस प्रकार है:-

(i) श्री आर. एस. वर्मा, अपर सचिव, विधि कार्य विभाग

(ii) डॉ. अंजु राठी राणा, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

- 27-28 अक्तूबर, 2021 को हुई विशेषज्ञ समूह की बैठक के बाद शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के महाभियोजकों के 19 वें सत्र का आयोजन भारत में दिनांक 29 अक्तूबर, 2021 को वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण:-

(i) श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, तत्कालीन विधि सचिव

(ii) डॉ. अंजु राठी राणा, तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

(iii) श्री. एम. खंडेलवाल, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, विधि कार्य विभाग

(iv) डॉ. आर.जे.आर काशीभटला, उप विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग

******